

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 027/2024

1. मुकेश कुमार पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी धोलपालिया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. जसवंत कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी धोलपालिया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. सोनू कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी धोलपालिया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

-- वादीगण

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी धोलपालिया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. पारा देवी पत्नि नत्थूराम जाति जाट निवासी धोलपालिया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. मोहनलाल पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी धोलपालिया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- कुम्भाराम पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी धोलपालिया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- निरमा देवी पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी धोलपालिया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
6. सरबती पत्नी कुम्भाराम जाति जाट निवासी धोलपालिया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
7. सुरियां पुत्री नत्थूराम पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी हरदयालपुरा, 4 एच.डी. पी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. पूजा रानी पुत्री कुम्भाराम पत्नी मदननाथ सिद्ध जाति जाट निवासी बेनीसर तहसील डुगरगढ़ जिला बीकानेर।
9. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. घोषणा एवं खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 24.07.2024

वादी की ओर से श्री विजयपाल पारीक अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री रायसिंह भाखर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.07.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस पदेन सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क) वादी संख्या 1 मुकेश कुमार को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 4 आर.डब्ल्यू.बी. के खाता संख्या 29/26 के पत्थर नम्बर 212/332(4) किला नम्बर 1 ता 4/1. 012 हैक्टर नहरी, 5/0.013 हैक्टर नहरी, 6/0.0572 हैक्टर नहरी उत्तरी दिशा का

हिस्सा, 7/0.143 हैक्टर नहरी उत्तरी दिशा का हिस्सा, 8/0.143 हैक्टर नहरी उत्तरी दिशा का हिस्सा, 9/0.143 हैक्टर नहरी उत्तरी दिशा का हिस्सा, 10/0.143 हैक्टर नहरी उत्तरी दिशा का हिस्सा कुल 1.6542 हैक्टर नहरी।

(ख) वादी संख्या 2 जसवंत कुमार व वादी संख्या 3 सोनू कुमार को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 4 आर.डब्ल्यू.बी. के खाता संख्या 29/26 के पत्थर नम्बर 212/332(4) के किला नम्बर 6/0.0438 हैक्टर नहरी दक्षिण दिशा का हिस्सा, 7/0.110 हैक्टर नहरी दक्षिण दिशा का हिस्सा, 8/0.110 नहरी दक्षिण दिशा का हिस्सा, 9/0.110 हैक्टर नहरी दक्षिण दिशा का हिस्सा, 10/0.1036 हैक्टर नहरी दक्षिण दिशा का हिस्सा पश्चिम दिशा को छोड़कर, 11/0.2408 हैक्टर नहरी पूर्वी दिशा का हिस्सा, 12 ता 14/0.759 हैक्टर नहरी, 15/0.177 हैक्टर नहरी कुल 1.6542 हैक्टर।

(ग) वादी संख्या 1 मुकेश कुमार तथा वादी संख्या 2 जसवंत कुमार व वादी संख्या 3 सोनू कुमार को सयुंक्त रूप से प्राप्त आराजी :- चक 4 आर.डब्ल्यू.बी. के खाता संख्या 29/26 के पत्थर नम्बर 212/332(4) किला नम्बर 10/0.0064 हैक्टर नहरी पश्चिम दिशा का हिस्सा जो दक्षिण से उत्तर वादी संख्या 1 मुकेश कुमार की आराजी तक 11/0.0122 हैक्टर नहरी पश्चिम दिशा का हिस्सा, कुल 0.0186 हैक्टर नहरी आराजी जिसमें वादी संख्या 1 मुकेश कुमार का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 जसवंत कुमार व वादी संख्या 3 सोनू कुमार का 1/2 हिस्सा में ब0हि0ब0।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



XV
(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एंवम्
पुद्दलसहोयक कलक्टर
पदेन सहायक टिब्बी